

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगारा
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान ग्रामीण सेवा शिविर - लादी

—:आदेश:—

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मराई व भू.अ.नि. मराई की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगारा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मराई तहसील रेलमगारा जिला राजसमन् की जमाबन्दी सम्वत् १९७७-७८ मराई में खाता संख्या ३६ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>मराई</u>	<u>३६</u>	<u>गीतादेवी / मोहन लाल जामवाल</u>	<u>गीतादेवी / मोहन लाल जामवाल</u>

(४)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगारा

क्रमांक :- 198

दिनांक :- 4 OCT 2025

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, रेलमगारा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्राथी श्री गीतादेवी / स्व. मोहन लाल जामवाल - मराई को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(४)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगारा